

आय कर आयुक्त, चेन्नई

बनाम

मैसर्स मॉडर्न इंजीनियर निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 5497/2008)

4 सितंबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जेजे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - s.80P (2) (a) (i)-के तहत कटौती दावा-उच्च न्यायालय ने मामले पर उचित रूप से विचार नहीं किया मामला नए सिरे से उच्च न्यायालय को भेजा गया।

निर्धारिती-प्रत्यर्थी ने कटौती का दावा किया, 80 आयकर अधिनियम, 1961 का पी (2) (ए) (आई), जो मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। पीड़ित निर्धारिती ने अपील दायर की जिसे मंजूरी दी गई आयुक्त (अपील)। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय उसी को बनाए रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील का निपटारा करना और मामले को प्रेषित करना, उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक रूप से मामला सदस्यों के द्वारा प्राप्त लाभ से संबंधित मानकर अभिनिर्धारित किया, यह भ्रम इसलिए पैदा हुआ क्योंकि

उच्च न्यायालय ने किसी अन्य मामले की तथ्यात्मक स्थिति को मिला दिया जो बैंकिंग में लगी क्रेडिट सोसायटी से संबंधित था। केवल इसी आधार पर, उच्च न्यायालय का आदेश सही नहीं है। इसके अलावा मद्रास ऑटोरिक्शा में इस न्यायालय के निर्णय, जिसकी प्रथम दृष्टया प्रासंगिकता है, पर उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। [पैरा 5, 6] [65-ए-सी]।

मद्रास ऑटोरिक्शा ड्राइवर बनाम आयकर आयुक्त (2001) 10 एससीसी 175-निर्दिष्ट।

केस कानून संदर्भ

(2001) 10 एस. सी. सी. 175 संदर्भित पैरा 6

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5497/2008।

मद्रास उच्च न्यायालय के टी.सी. (ए) 136/2007 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26.2.2007 से उत्पन्न।

वी. शेखर, रणबीर चंद्र और बी.वी. बलराम दास अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260-ए तहत खारिज की गई अपीलों के आदेश

को आक्षेपित किया गया है। आक्षेप का मुख्य आधार प्रत्यर्थी के द्वारा अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत की गयी कटौती है। आयकर मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा क्लेम को इस आधार पर नहीं माना गया कि निर्धारिती ने परिलक्षित आय को न तो सदस्यों के वास्तविक श्रम पर आकलित किया ना ही सामुहिक श्रम के आधार पर। आयकर आयुक्त ने पुराने आदेशों के आधार पर अपील स्वीकार की। राजस्व ने आयकर अपीलीय अधिकरण चेन्नई-'ए' बेंच (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') के समक्ष अपील दायर की, जो खारिज कर दी गयी ।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिकारी ने सही मत प्रकट किया है कि कटौती का क्लेम धारा 80 पी (ए) (आई) के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है। आयुक्त (अपील) और न्यायाधिकरण ने इसके अन्यथा निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि सोसायटी द्वारा कार्य निष्पादन में अर्जित लाभ उसके सदस्यों द्वारा स्वयं ही रख लिया गया।

4. नोटिस की तामील के बावजूद निर्धारिती की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. उच्च न्यायालय ने मात्र तथ्यात्मक स्थिति पर विचार कर मामला मात्र सदस्यों द्वारा प्राप्त किये गये लाभ तक ही निर्णित किया है। ऐसी भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उच्च न्यायालय के द्वारा

किसी अन्य प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को इस प्रकरण से मिला दिया गया, जो बैंकिंग में लगी क्रेडिट सोसायटी से संबंधित था। इस कारण उच्च न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6. इसके अतिरिक्त इस न्यायालय का निर्णय मद्रास ऑटोरिक्शा ड्राइवर बनाम आयकर आयुक्त (2001 (10) एस. सी. सी. 175), जो कि प्रथम दृष्टया इस मामले से सुसंगत है, उस पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए उपरोक्त विवेचन से उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त कर प्रकरण उक्त निर्णय की रोशनी में, सही तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गयी है।

7. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

डी.जी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लतिका दीपक पाराशर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।